

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 175] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 25, 1981/वैशाख 5, 1903
No. 175] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 1981/VAISAKHA 5, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

अभिलेखना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1981

का. आ. 320(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधि-
नियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29-ख की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्यो-
गिक विकास विभाग) की अभिलेखना सं. का. आ. 98 (अ)/उ. वि. वि.

अ./73/1, तारीख 18 फरवरी, 1973 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

अनुसूची 5 में, प्रविष्टि “19. टेलीविजन अभिग्राही” के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी ; अर्थात् :—

“20. चादरी, चित्रित और तारयुक्त कांच” ।

2. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 29-ख की उपधारा (2) के अनु-सरण में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके अवसान के पश्चात् ऐसे किसी औद्योगिक उपक्रम का, जिसे उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन से पहले छूट प्राप्त थी, और जिसे इस अधिसूचना के आधार पर इस प्रकार छूट प्राप्त नहीं है, कोई स्वामी, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसार और राज्य सरकार की दशा में केन्द्रीय सरकार की पूर्ण अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसार, ऐसे उपक्रम का कारबार चलाएगा, अन्यथा नहीं ।

[फा. सं. 11/1/80-एल. पी.]

बी. राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 1981

S.O. 320(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 98(E)/IDRA/73/1 dated the 16th February, 1973, namely :—

In Schedule V, after the entry “19. T. V. Receivers” the following entry shall be added, namely :—

“20. Sheet, figured and wired glass.”

2. In pursuance of sub-section (2) of section 29B of the said Act, the Central Government hereby specifies a period of six months from the date of publication of this notification as the period after the expiry of which no owner of any industrial undertaking, which was previously exempted from the operation of the provisions of the said Act and which is not so exempt by virtue of this notification, shall carry on the business of such undertaking, except under and in accordance with a licence issued in this behalf by the Central Government and in the case of State Governments except under and in accordance with the previous permission of the Central Government.

[File No. 11/1/80-LP]

B. ROY, Jt. Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRFSS, RING ROAD, NEW DELHI-110064

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981